संख्या-216/2026/आई/1443470/2026/001-23-9002(099)/2/2026

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊः दिनांक 24 अगस्त, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 में मुख्यमंत्री ग्राम योजनान्तर्गत ग्रामीण मार्गों के नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/मिसिंग लिंक के निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न जनपदों के 40 नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 में मुख्यमंत्री ग्राम योजनान्तर्गत ग्रामीण मार्गो के नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/मिसिंग लिंक के निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न जनपदों के 40 नये कार्यों हेतु कुल लागत रू0 56.8065 करोड़ (रूपये छप्पन करोड़ अस्सी लाख पैसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष स्तम्भ-11 के अनुसार प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0 19.2132 करोड़(रूपये उन्नीस करोड़ इक्कीस लाख बत्तीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:- (धनराशि रू0 लाख में)

क्र.	मुख्य अभियंता(मु0-1) का पत्र	क्षेत्र/ मण्डल	जनपद/खण्ड	विधानसभा	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	निर्माण लागत	अनुरक्षण लागत	कुल लागत	वित्तीयवर्ष 2026-27 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4667/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Agra	PD AGRA	Agra North	बसेरा एन्कलेब कालोनी दयालबाग तक मिसिंग लिंक का नवनिर्माण कार्य।	1.50	138.39	3.38	141.77	48.44
2	8758/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Agra	PD AGRA	Fatehabad	स्वारा मार्ग से शोमकान्त की ठार, पक्कापुरा एवं खॉंद का पुरा तक नवनिर्माण कार्य ।	1.00	89.63	2.19	91.82	31.37
3	5058/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Ayodhya	CD-1 Barabanki	Dariyabad	कलहंसपुरवा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	1.00	94.32	2.31	96.63	33.01
4	5099/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Ayodhya	CD-1 Barabanki	Dariyabad	शुक्लेकापुरवा (मल्लाहनपुवा बांसगांव दक्षिणी) सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.00	99.15	2.42	101.57	34.70
5	6190/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Azamgarh	CD Ballia	Bansdeeh	टी0एस0 बन्धा से कोलकला बिन्द बस्ती तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	1.10	99.79	2.44	102.23	34.93
6	3339/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	BandaChitrakoot	CD-1 Mahoba	Mahoba	ग्राम बरांय से बबेडी मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.60	362.25	26.08	388.33	126.79
7	3346/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	GondaDevipatan	PD Balrampur	Tulslipur	किठूरा से गुलरिहा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	2.60	360.13	26.41	386.54	126.05
8	6030/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	GondaDevipatan	CD-1 Gonda	Mankapur	विकास खण्ड नवाबगंज के ग्राम मैनपुर में डा ममता पाण्डेय के घर से दयारामपुरवा पक्की सडक से राम ललित पाण्डेय के घर, छेदी बगिया होते हुए छोटकी दुबौली अकबरपुर मेन रोड तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.00	116.47	2.85	119.32	40.76
9	5828/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Gorakhpur	PD Mahrajganj	Siswa	सीएमजीएसवाई योजना विकास खंड सिसवा में बरवा	1.65	190.11	4.65	194.76	66.54

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

					पकड़ी सिसवा जर्मा रोड के नहर पिच से किसान इंटर कॉलेज बेलवा तक लिंक रोड का नव निर्माण				
10	5842/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Gorakhpur	PD Mahrajganj	Siswa	सीएमजीएसवाई योजना विकास खंड निचलौल के बैदौली के राम प्रसाद मौर्य के घर से कटान टोला तक लिंक रोड का नव निर्माण	1.20	152.31	3.72	156.03	53.31
11	5852/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Gorakhpur	PD Mahrajganj	Siswa	सीएमजीएसवाई योजना विकास खंड निचलौल के ग्राम ओबरी से बाली तक लिंक रोड का नव निर्माण।	1.80	214.05	5.23	219.28	74.92
12	3260/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Lucknow	CD-3 LAKHIMPUR KHERI	Palia (Partial)	महरताला मण्डी मार्ग से बलारपुर के मध्य छूटी कड़ी का निर्माण कार्य।	1.00	105.60	2.58	108.18	36.96
13	2828/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Lucknow	CD-1 Sitapur	Biswan (Partial)	मोइजुद्दीनपुर कैमहरा मार्ग से किशुनपुर मार्ग	2.00	233.03	5.70	238.73	81.56
14	5544/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Lucknow	CD-1 Sitapur	Biswan (Partial)	भोलगज मतुआ मार्ग से मढिया तिराहे से सिरसा कला तक बहराईच सीतापुर सम्पर्क मार्ग	1.20	140.19	3.43	143.62	49.07
15	4859/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Lucknow	PD Sitapur	Sevta(Partial)	चैनपुरवा से फुलवारी तक लिंक रोड का निर्माण	1.75	320.97	7.84	328.81	112.34
16	2831/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Lucknow	CD-1 Sitapur	Sidhauli (Partial)	मुरहाडीह से भगवानपुर सम्पर्क मार्ग	1.00	112.65	2.75	115.40	39.43
17	2794/------------ वृत्त (CMGSY)/2026-27	Meerut	CD Meerut	Siwalkhas	खिवई से नारंगपुर सम्पर्क मार्ग का मिसिंग लिंक का नवनिर्माण का कार्य।	3.40	167.05	12.25	179.30	58.47
18	6838/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Mirzapur	CD-2 Mirzapur	Marihan	एन0एच0-7 से बिशनुपुर सम्पर्क मार्ग।	1.10	103.79	2.54	106.33	36.33
19	6688/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Moradabad	PD Amroha	Dhanaura	धनौरा.शेरपुर मार्ग पर डा॰ अम्बेडकर स्कूल से सुनगढ़ माफी तक मार्ग का निर्माण कार्य।	1.03	93.92	2.30	96.22	32.87
20	2146/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Moradabad	PD Amroha	Dhanaura	गजरौला बाई पास कि॰मी॰ 06 से तिगरी धाम तक मार्ग का निर्माण कार्य।	1.00	98.42	2.41	100.83	34.45
21	6628/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Moradabad	PD Amroha	Dhanaura	धनौरा-नौगावा मार्ग से फौलादपुर-खण्डसाल कला मार्ग तक मार्ग का निर्माण कार्य।	1.17	101.29	2.48	103.77	35.45
22	107/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Moradabad	PD Amroha	Dhanaura	भारापुर से ढकिया भूड़ मार्ग का निर्माण कार्य।	1.40	123.44	3.02	126.46	43.20
23	6696/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Moradabad	PD Amroha	Dhanaura	नीलीखेड़ी से हिरनाखेड़ी मार्ग का निर्माण कार्य।	1.95	177.01	4.33	181.34	61.95
24	7631/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Prayagraj	PD Fatehpur	Khaga	वितीय वर्ष 2026-27 में खासमऊ से गड़रियन का डेरा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.25	152.44	11.18	163.62	53.35
25	6867/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Prayagraj	CD-3 Prayagraj	Bara	विकास खण्ड शंकरगढ के ग्राम मजरा गोडारपुर काली सड़क से मनकामेश्वर मन्दिर तक मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	1.00	86.16	2.11	88.27	30.16
26	6897/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Varanasi	PD Gazipur	Jakhania	बरईपारा शादियाबाद मुख्य मार्ग से बरईपारा अनुसूचित बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	2.50	134.84	9.89	144.73	47.19
27	7488/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Varanasi	PD Jaunpur	Shahganj	ग्राम सभा मलहच से ग्राम कछरा में प्राथमिक विद्यालय तक सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण एवं अनुरक्षण का कार्य।	2.00	149.08	3.64	152.72	52.18
28	5396/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Varanasi	CD-2 Jaunpur	Zafrabad	गोपीपुर ब्राह्मण बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य।	1.18	83.16	2.03	85.19	29.11
29	2782/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Varanasi	PD Varanasi	Ajagara	ग्राम सभा रजला में पिच रोड बाढू सिंह के घर के सामने से अनुसूचित बस्ती रजला	1.00	99.39	2.43	101.82	34.79

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

					अम्बेडकर जी की मूर्ती तक का नव निर्माण कार्य					
30	2247/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Varanasi	PD Varanasi	Ajagara	विकास खण्ड हरहुआ से जैपार खारी मार्ग से मडईया तक नव निर्माण का कार्य।	1.00	69.99	1.71	71.70	24.50
31	3384/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Varanasi	PD Varanasi	Ajagara	उधोरामपुर में शहीद स्मारक से निषाद बस्ती तक पिच रोड का नव निर्माण कार्य।	1.20	77.39	1.89	79.28	27.09
32	2848/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Varanasi	PD Varanasi	Ajagara	सिंहपुर में नहर से रविदास मंदिर होते हुए मंगोलेपुर पिच रोड तक नव निर्माण कार्य।	1.50	132.27	3.23	135.50	46.29
33	3435/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Varanasi	PD Varanasi	Ajagara	हड़ियाडीह में बाबतपुर, चौबेपुर मार्ग से हड़ियाडीह अनुसूचित जाति, ब्राह्मण बस्ती तक पिच रोड का नव निर्माण कार्य।	1.10	69.81	1.71	71.52	24.43
34	3428/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Varanasi	PD Varanasi	Ajagara	विकास खण्ड चोलापुर में हडियाडीह अमृत सरोवर पिच रौड से श्री लालचन्द्र के घर होते हुए श्री सुरेन्द्र राजभर के घर तक नव निर्माण का कार्य।	1.50	95.65	2.34	97.99	33.48
35	6703/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Varanasi	PD Varanasi	Ajagara	विकास खण्ड चोलापुर में चौबेपुर-बाबतपुर मार्ग से पटेल नगर मुनारी हरिजन बस्ती तक मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	1.00	65.20	1.59	66.79	22.82
36	2890/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Varanasi	PD Varanasi	Ajagara	विकास खण्ड चोलापुर में दाउदपुर पिच रोड सामू के आवास से अनुसूचित बस्ती संग्राम के आवास से होते हुए सिंहपुर पानी टंकी तक नव निर्माण कार्य।	1.20	106.18	2.60	108.78	37.16
37	3426/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Varanasi	PD Varanasi	Ajagara	विकास खण्ड चोलापुर में ग्राम गौरा उपरवार में मौनी बाबा पिच मार्ग से निषाद बस्ती तथा आगे तक पिच रोड का नव निर्माण कार्य।	1.20	83.30	2.04	85.34	29.16
38	3425/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Varanasi	PD Varanasi	Ajagara	विकास खण्ड चोलापुर में ग्राम गौरा उपरवार में मुरिदपुर मार्ग से गौरा उपरवार रोड अनुसूचित जाति बस्ती तक पिच मार्ग नव निर्माण कार्य।	1.00	66.11	1.62	67.73	23.14
39	3431/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Varanasi	PD Varanasi	Ajagara	विकास खण्ड चोलापुर में ग्राम मुनारी में सारनाथ-मुनारी मार्ग पुलिया से श्री संतोष विश्वकर्मा के घर तक नव निर्माण का कार्य।	1.00	65.36	1.60	66.96	22.88
40	5020/समग्र वृत्त (CMGSY)/2026-27	Lucknow	PD Lucknow	Bakshi Ka Talab	देवा रोड से हरदासी खेडा स्थित पैरा माउण्ट कालेज, गणेशपुर माइनर नहर की पटरी तकरोही अमराई सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	2.5	259.11	6.33	265.44	90.69
						योग	5489.40	191.25	5680.65	1921.32

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) प्रायोजनान्त प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति(डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा

समक्ष स्तर से तनकीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(4) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के संशोधित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-74(4)/75, दिनांक 11.11.14 एवं वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश विभाग सं0-बी-1-901/दस- 2011-231/2011, दिनांक 21.03.2011 के क्रम में नियमानुसार लोक निर्माण विभाग की प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी। सेन्टेज चार्जेज(प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त(लेखा)अनु02 के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश सं0-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 , दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत विभाग द्वारा सर्वप्रथम भूमि अधिग्रहण एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण किया जाये तदोपरान्त ही मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये। यदि वन भूमि से संबंधित कार्य प्रस्तावित किया जाता है तो इस संबंध में आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(9) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(10) प्रायोजनान्तर्गत आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय, वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(11) परियोजना की लागत व समय सीमा में बढोत्तरी न हो, इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा एवं माह में कम से कम एक बार समीक्षा विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

(12) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2027 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(13) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(14) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों हेतु पंचवर्षीय अनुरक्षण की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाय।

(15) प्रभाग द्वारा स्टीमेटर पोर्टल से प्राप्त आगणनों में प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के ससमय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(16) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(17) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय में ही पूर्ण हो जाये।

(18) यदि प्रायोजना में भूमि अध्यासि का प्राविधान किय गया है तो भूमि का क्रय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(19) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्राशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। अतः प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(20) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत कार्य से सम्बन्धित बचत (यदि हो तो) व कार्य पूर्णता इत्यादि की सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(22) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय-वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय-वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(23) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यो की लागत में कमी आती है, तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

(24) परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता आदि के वेतन से की जायेगी।

(25) परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का होगा।

(26) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(27) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(28) उपरिलिखित सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 19,21,32,000 (रुपये उन्नीस करोड़ इक्कीस लाख बत्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043371360 मुख्यमंत्री ग्राम योजनान्तर्गत ग्रामीण मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या- उपरोक्त एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।

2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।

3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

4- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।

5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।

6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।

7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

8- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

9- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।

10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।

11- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2

12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in